

Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not
to be quoted or published elsewhere)

Circular No.11- Staff (App 1)/2017

No.228 - Staff (App 1)/12-2012

Dated 13.02.2017

To

1. All Heads of Department in the IA&AD
2. Director General (Commercial)
3. Director General (Examination)
4. Director (P)


Subject: Recruitment Rules to the post of Private Secretary in Indian Audit and Accounts Department.

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of Recruitment Rules to the post of Private Secretary in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 11 dated 11.01.2017 for appropriate action.

2. These rules have been notified in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules 2003.
3. The receipt of this circular may be acknowledged

Yours faithfully,


(Ranjit Singh)

Assistant Comptroller & Auditor General (N)

By promotion of Personal Assistants on the basis of seniority
(To the extent of 10 % of the cadre strength of Senior Personal Assistants)

Minimum 20 years experience in the cadre of Personal Assistant in case of promotion

[No. F.-34/2016-SCA (I)]

By Order,

R. N. NIJHAWAN, Registrar (Admn. J)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 11 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निजी सचिव	78* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय।	स्तर - 7 (44900-142400 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत लघुकाल संविदा भी हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (35,400-1,12,400 रु.) में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-I जिसने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

टिप्पण 1 : अधिकारी, जो 01 जनवरी, 2006 को पुनरीक्षित वेतनमान 5500-9000 रु. में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए थे, वे पुनरीक्षित वेतनमान 5000-8000 रु. में पद धारण किए हुए अधिकारियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति/जिसके अंतर्गत लघु काल संविदा भी हैं : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्धसरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधिकारी :-

- जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.) में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-I या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हों।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संबिदा हैं की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संबिदा हैं की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संबिदा हैं द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत लघुकाल संबिदा हैं के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. महानिदेशक/ प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा की पंक्ति का संवेग नियंत्रक अधिकारी - अध्यक्ष</p> <p>2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ निदेशक/ उपमहालेखाकार/ उपनिदेशक प्रभारी प्रशासन - सदस्य</p> <p>3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ निदेशक/ उपमहालेखाकार/ उपनिदेशक - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12018/03/2012-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 11th January, 2017

G.S.R.11 .—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the post of Private Secretary, namely:-

- Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix. -** The number of posts, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.-** No person,
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.-** Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Private Secretary.	78* (2017) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group B Gazetted, Ministerial.	Level 7. (Rupees 44900-142400)	Selection.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable

